संख्या : 3938/62-2-2012-2/2(10)2012

प्रेषक,

एस0के0द्विवेदी
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता,
लघु सिंचाई विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक : 20 नवम्बर, 2012

विषयः – निजी लघु सिंचाई कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदेश के एल्यूवियल एवं कठिन स्ट्रेटा वाले क्षेत्रों में डा0 राम मनोहर लोहिया सामुदायिक नलकूप नामक नई योजना का कियान्वयन।

महोदय,

वित्तीय वर्ष 2012-13 से निजी लघु सिंचाई कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदेश के एल्यूवियल क्षेत्र के कठिन एवं गहरे स्ट्रेटा वाले क्षेत्रों जहाँ निःशुल्क बोरिंग सम्भव नहीं हो पाती है में डा0 राम मनोहर लोहिया सामुदायिक नलकूप योजना हेतु नई मदों के अन्तर्गत बजट प्राविधान स्वीकृत हुआ है।

2- उक्त नई योजना के कियान्वयन हेतु निम्नानुसार विस्तृत दिशा-निर्देश निर्गत किये जाने की महामहिम श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैंः-

(अ) **योजना का नाम-** ''डा0 राम मनोहर लोहिया सामुदायिक नलकूप योजना''

(ब) **योजना की शुरूवात-** वित्तीय वर्ष 2012-13

(स) **योजना का कार्य क्षेत्र**-प्रदेश के एल्यूवियम क्षेत्र के कठिन एवं गहरे स्ट्रेटा वाले ऐसे क्षेत्र जहाँ निःशुल्क बोरिंग सम्भव नहीं है।

(द) **योजना का स्वरूप-** इस योजना में दो प्रकार के समूहों का गठन किया जायेगा,

(1) अनुसूचितजाति /जनजाति कृषक बाहुल्य समूह

(2) सामान्य श्रेणी के लघु/सीमान्त कृषक बाहुल्य समूह

जिसमें अनुसूचितजाति /जनजाति /अन्य पिछड़ा जाति/अल्प संख्यक वर्ग/गरीबी रेखा के नीचे /अन्य वर्ग के कृषकों को वरीयता दी जायेगी।

(य) **नलकूप निर्माण की कुल लागत-** रू0 5.00 लाख

नलकूप के निर्माण में पी0वी0सी0 पाइप का प्रयोग किया जायेगा। उक्त

क्रमशः 2 पर

लागत में ड्रिलिंग,एसेम्बली, सबमर्सिबिल पम्प,पम्प हाउस, हौदी,180 मीटर जल वितरण प्रणाली के लिए 110 एम0एम0 एच0डी0पी0ई0 पाइप एवं ऊर्जीकरण के लिए विद्युत कनेक्शन हेतु धनराशि सम्मिलित होगी, जिसकी फॉंट निम्नवत है :

(i)	नलकूप निर्माण (ड्रिलिंग,एसेम्बली,सबमर्सिबिल पम्प, पम्पहाउस, हौदी इत्यादि)	:	रू0 4.02 लाख
(ii)	180 मीटर जल वितरण प्रणाली	:	रू0 0.30 लाख
(iii)	ऊर्जीकरण	:	रू0 0.68 लाख
	कुल	:	रू0 5.00 लाख

(iv) उक्त बिन्दु य((iii)) में ऊर्जीकरण हेतु उल्लिखित धनराशि इस प्रतिबन्ध के साथ अनुमन्य होगा कि समय-समय पर विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्धारित प्रति नलकूप अनुमन्य धनराशि से संयोज़न के लक्ष्य निर्धारित कर संयोजन प्रदान किये जायेगें तथा वॉंछित धनराशि अगले वित्तीय वर्ष 2013-14 से अनुमन्य होगी एवं तद्नुसार अनुदान संख्या-9 से ऊर्जा विभाग को दी जा रही राशि अनुपातिक रूप से कम कर दी जायेगी।

(v) उक्त दोनों गठित कृषक समूहों हेतु नलकूप निर्माण पर देय अनुदान एवं अन्य विवरण निम्नवत् होगा :

(क) अनुसूचित जाति /जनजाति बाहुल्य कृषक समूह

समूह में न्यूनतम 10 सदस्य होगें जिसमें आधे से अधिक लाभार्थी अनुसूचित जाति/जनजाति के होगें। समूह के सदस्यों की कुल जोत न्यूनतम 10 हे0 होगी तथा अनुसूचित जाति /जनजाति के सदस्यों की जोत, समूह के सदस्यों की कुल जोत के 25 प्रतिशत से अधिक होगी। निर्मित नलकूप से न्यूनतम 20 हे0 सिंचन क्षमता का सृजन किया जायेगा। समूह का अध्यक्ष अनुसूचितजाति/जनजाति का होगा।

समूह को नलकूप निर्माण (ड्रिलिंग, एसेम्बली, सबमर्सिबिल पम्प, पम्पहाउस, हौदी इत्यादि) हेतु वास्तविक लागत अधिकतम रू0 4.02 लाख, जल वितरण हेतु एच0डी0पी0ई0पाइप सिंचाई सिस्टम के लिए वास्तविक लागत अधिकतम रू0 0.30 लाख तथा ऊर्जीकरण हेतु **वास्तविक लागत अधिकतम विद्युत नियामक आयोग द्वारा समय-समय पर अनुमन्य धनराशि (वर्तमान में रू0 0.68 लाख) का अनुदान पृथक-पृथक देय होगा। परन्तु ऊर्जीकरण हेतु अनुमन्य उक्त धनराशि इस प्रतिबन्ध के साथ अनुमन्य होगी कि ऊर्जीकरण के लिए समय-समय पर विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्धारित प्रति नलकूप अनुमन्य धनराशि से संयोजन के लक्ष्य निर्धारित कर संयोजन प्रदान किया जायेगा तथा वॉंछित धनराशि अगले वित्तीय वर्ष 2013-14 से अनुमन्य होगी और तद्नुसार अनुदान संख्या-9 से**

क्रमशः 3 पर

ऊर्जा विभाग को दी जा रही राशि आनुपातिक रूप से कम कर दी जायेगी। एक मद पर देय अनुदान दूसरे मद में व्यय नहीं किया जायेगा एवं ड्रिलिंग पूर्ण होने के उपरान्त ऊर्जीकरण हेतु अनुदान की धनराशि उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन को उपलब्ध कराई जायेगी। यदि उपरोक्तानुसार देय अनुदान के अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता होगी तो उसे समूह के सदस्य अपने संसाधनों से वहन करेगें।

(ख) सामान्य श्रेणी के लघु एवं सीमान्य कृषक बाहुल्य समूह

समूह में न्यूनतम 10 सदस्य होगें जिसमें आधे से अधिक सदस्य सामान्य श्रेणी के लघु एंव सीमान्त कृषक होगें तथा समूह के गठन में अनुसूचित जाति /जन जाति /अन्य पिछड़ा जाति /अल्प संख्यक/गरीबी रेखा के नीचे / अन्य वर्ग के कृषकों को वरीयता दी जायेगी। समूह के सदस्यों की कुल जोत न्यूनतम 10 हे0 होगी तथा लघु एवं सीमान्त कृषकों के सदस्यों की जोत समूह के सदस्यों की कुल जोत के 25 प्रतिशत से अधिक होगी। निर्मित नलकूप से न्यूनतम 20 हे0 सिंचन क्षमता का सृजन किया जायेगा। समूह का अध्यक्ष लघु एवं सीमान्त कृषक ही होगा।

समूह को नलकूप निर्माण (ड्रिलिंग, एसेम्बली, सबमर्सिबिल पम्प, पम्पहाउस, हौदी इत्यादि) हेतु लागत का 75 प्रतिशत अधिकतम रू0 3.015 लाख, जल वितरण हेतु एच0डी0पी0ई0पाइप सिंचाई सिस्टम के लिए लागत का 75 प्रतिशत अधिकतम रू0 0.225 लाख तथा ऊर्जीकरण हेतु वास्तविक लागत अधिकतम विद्युत नियामक आयोग द्वारा समय-समय पर अनुमन्य धनराशि (वर्तमान में रू0 0.68 लाख) का अनुदान पृथक-पृथक देय होगा। परन्तु ऊर्जीकरण हेतु अनुमन्य उक्त धनराशि इस प्रतिबन्ध के साथ अनुमन्य होगी कि ऊर्जीकरण के लिए समय-समय पर विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्धारित प्रति नलकूप अनुमन्य धनराशि से संयोजन के लक्ष्य निर्धारित कर संयोजन प्रदान किया जायेगा तथा वॉछित धनराशि अगले वित्तीय वर्ष 2013-14 से अनुमन्य होगी और तद्नुसार अनुदान संख्या-9 से ऊर्जा विभाग को दी जा रही राशि आनुपातिक रूप से कम कर दी जायेगी। एक मद पर देय अनुदान दूसरे मद में व्यय नहीं किया जायेगा एवं ड्रिलिंग पूर्ण होने के उपरान्त ऊर्जीकरण हेतु अनुदान की धनराशि उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन को उपलब्ध कराई जायेगी। यदि उपरोक्तानुसार देय अनुदान के अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता होगी तो उसे समूह के सदस्य अपने संसाधनों से वहन करेगें।

3- नलकूप निर्माण हेतु 20 वर्गमीटर जमीन समूह के किसी एक सदस्य द्वारा समूह को दान के रूप में अनुबन्ध द्वारा दी जायेगी तथा निर्मित नलकूप का स्वामित्व समूह का होगा और इसका संचालन एवं रख रखाव समूह द्वारा किया जायेगा। नलकूप का विद्युत संयोजन समूह के अध्यक्ष के नाम से होगा।

4- बोरिंग हैण्ड ओवर करने से पूर्व ड्रिलिंग /डेवलपमेन्ट के समय यदि बोरिंग

कमशः 4 पर

फेल होती है तो रू0 1,000.00 की धनराशि लाभार्थी समूहों से काटकर व्यय धनराशि अनुदान से समायोजित की जायेगी एवं समूह द्वारा जमा अंश वापस कर दिया जायेगा।

5- उक्त योजना के कियान्वयन हेतु समूह के चयन, गठन, पात्रता, नलकूप निर्माण की प्रकिया वार्षिक लक्ष्य, ड्राइंग डिजाइन, दर निर्धारण, अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण इत्यादि के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश मा0 विभागीय मंत्री जी के अनुमोदन उपरांत निर्गत किये जायेंगे तथा भविष्य में ऐसे निर्देशों एवं तकनीकी बिन्दुओं से संबंधित यथा आवश्यक परिवर्तन भी मा0 विभागीय मंत्री जी के अनुमोदन उपरांत निर्गत किये जायेंगे।

6- कृपया तदनुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(एस0 के0 द्विवेदी)
विशेष सचिव।

सं0:- 3930 (1)/62-2-2012,तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः--

1- मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2- प्रमुख सचिव, मा0 मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
3- कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
4- प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त/नियोजन/राजस्व/कर एवं निबन्धन/समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
5- प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश पावर कार्पोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
6- निदेशक, भूगर्भ जल विभाग, उत्तर प्रदेश।
7- निदेशक, लघु सिंचाई एवं जल प्रयोग, बी0के0टी0, लखनऊ।
8- समस्त संयुक्त/उप विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
9- समस्त अधीक्षण अभियंता/अधिशासी अभियंता/सहायक अभियंता, लघु सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश।
10- उपनिदेशक, सॉख्यकिय सेल, लघु सिंचाई विभाग, लखनऊ।
11- समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
12- अधीक्षण अभियंता/विषय विशेषज्ञ, लघु सिंचाई विभाग, लखनऊ।
13- अधिशासी अभियंता, आपूर्ति खण्ड, लघु सिंचाई विभाग, लखनऊ।
14- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-2, उ0 प्र0 शासन।
15- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एस0 के0 द्विवेदी)
विशेष सचिव।